राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(2)राज/वाद/24 जयपुर, दिनांक : 04-02-2026.

:: **आदेश** ::

विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.01.26 के द्वारा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य में नवगठित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़), सांगोद(कोटा), उनियारा(टोंक), छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़), चौहटन (बाड़मेर), बर(ब्यावर), केशोरायपाटन (बूंदी), नदबई(भरतपुर), चाकसू (जयपुर महानगर–प्रथम) को अपनी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के संबंध में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है एवं संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.01.26 के क्रम में नवगठित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बड़ी सादड़ी(चित्तौड़गढ़), सांगोद(कोटा), उनियारा(टोंक), छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़), चौहटन(बाड़मेर), बर(ब्यावर), केशोरायपाटन(बूंदी), नदबई(भरतपुर), चाकसू(जयपुर महानगर–प्रथम) में राज्य की ओर से पैरवीरत अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन उत्पन्न मामलों से संबंधित प्रकरणों में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां एतद्द्वारा प्रदत्त की जाती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

sd
(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3 रजिस्ट्रार, जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4 रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
6 वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
8 निजी सचिव, शासन सचिव, गृह(विधि) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9 महानिदेशक, पुलिस/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10 जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़, बाड़मेर, ब्यावर, बूंदी, भरतपुर, जयपुर महानगर–प्रथम।
11 संबंधित अभियोजकगण।
12 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13 सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15 रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द बंसल) 04/2/26
शासन सचिव, विधि